भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 584

जिसका उत्तर गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्रक्रियाओं का उल्लंघन

584. श्री अनिल देसाई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक संस्थाओं द्वारा दिए गए कुछ आपत्तिजनक/अनुचित टिप्पणियों, निर्णयों के मद्देनजर ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए एक तंत्र विकसित करने की कोई मांग या आवश्यकता महसूस की गई है ;

(ख) क्या जमानत, माफी दिए जाने आदि के संबंध में न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए उच्च न्यायालयों में कोई व्यवस्था मौजूद हैं ;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों ने कभी किसी न्यायिक अधिकारी को किसी प्रक्रिया या कानून का उल्लंघन करते पाया है; और

(घ) यदि हां, तो सामान्यतः संबंधित न्यायिक अधिकारियों पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : न्यायालय संबंधी प्रक्रियाएं और मामले, जैसे न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जिसके अन्तर्गत जमानत प्रदान करना, परिहार करना आदि से संबंधित मामले भी सम्मिलित हैं, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं और सरकार की इन मामलों में कोई भुमिका नहीं है । सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी कार्य प्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है । न्यायपालिका संविधान के अधीन एक स्वतंत्र अंग होने के कारण अपने आंतरिक मामलों को हैंडल करने में समर्थ है ।

उच्चतर न्यायपालिका में जवाबदेही "इन हाउस तंत्र" के माध्यम से बनाए रखी गई है । भारत के उच्चतम न्यायालय ने 7 मई, 1997 को अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में दो संकल्प ग्रहण किए हैं, अर्थात् (i) "न्यायिक जीवन के मुल्यों का पुन: कथन" जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा अनुपालन और पालन किए जाने वाले कतिपय न्यायिक मानकों और सिद्धांतों को अधिकथित किया गया हैं । (ii) "इन हाउस प्रक्रिया" उन न्यायाधीशों, जो न्यायिक जीवन के सर्वत्र स्वीकार किए गए मुल्यों, जिसमें वे जिन्हे न्यायिक जीवन के मुल्यों के पुन: कथन में सम्मिलित किया गया है, शामिल है, का पालन नहीं करते हैं, के विरुद्ध उचित उपाय करना ।

उच्चतर न्यायपालिका के लिए स्थापित "इन हाउस तंत्र" के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । प्राप्त शिकायतों/अभ्यवेदनों को यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को समुचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में विहीत होता है ।

****